

प्रेषक

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख
सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 2018

विषय- जेम व्यवस्था को व्यापक और सुदृढ़ बनाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 04 सितम्बर से 15 अक्टूबर, 2018 तक प्रारम्भ किये जा रहे नेशनल जेम मिशन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय

आप अवगत हैं कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, जेम को शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23-8-2017 द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा जेम पर उपलब्ध सभी सामग्री का क्रय जेम के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है और इसके क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 25-8-2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा जेम पोर्टल से सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु राज्य को जेम बायर टाप एवार्ड भी दिया गया है, परन्तु अभी भी इस दिशा में काफी कार्य किया जाना शेष है। प्रदेश के लगभग 11000 आहरण एवं वितरण अधिकारियों के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 6314 प्राईमरी एवं सेकेण्डरी यूजर जेम पर उपलब्ध हैं। इससे प्रतीत होता है कि अभी भी कई विभागों एवं कार्यालयों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए जेम के इतर सामग्री/सेवायें क्रय की जा रही हैं, जो नियमानुकूल नहीं हैं।

3- जेम से सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु विभागों के आच्छादन/पंजीयन एवं जेम पर आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु भारत सरकार द्वारा 04 सितम्बर से 15 अक्टूबर, 2018 तक नेशनल जेम मिशन प्रारम्भ किया गया है जिसके अंतर्गत जेम व्यवस्था को और व्यापक और सुदृढ़ बनाने की कोवाही की जा रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आपसे निम्नलिखित अपेक्षाएँ की जाती हैं-

- (1) राज्य के बड़े क्रेता विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्षों के साथ एक राज्य स्तरीय जेम कार्यशाला दिनांक 07-9-2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से योजना भवन के कक्ष संख्या-111 में आयोजित की जा रही है। आमंत्रित विभागों को सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की ओर से पृथक से पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं। आमंत्रित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उक्त कार्यशाला में स्वयं उपस्थिति हों एवं अपने विभागाध्यक्ष की भी उपस्थिति सुनिश्चित करायें।
- (2) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर भी बायर एवं सेलर के पंजीयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जायें। इस हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की सारिणी संलग्न है।
- (3) सभी जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी संलग्न कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त बायर एवं सेलर मीट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु जनपद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-29/2018/757/18-2-2018-97(ल030)/2016टीसी, दिनांक 29-8-2018 द्वारा जनपद स्तर हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र एवं मण्डलीय स्तर पर अपर/संयुक्त आयुक्त, उद्योग को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्य करेंगे।

(4) सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष विभाग में प्राइमरी एवं सेकेंडरी के विषय में आदेश निर्गत करते हुए इसकी सूचना अपनी विभागीय वेबसाइट पर डालते हुए आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग को उपलब्ध करायेंगे।

(5) सभी मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों यह अपेक्षा की जाती है कि वे जनपदीय एवं मण्डलीय कार्यालयों में यह समीक्षा करें कि इन कार्यालयों की क्रय व्यवस्था किस प्रकार सम्पादित हो रही है तथा इस मिशन के समाप्ति होने तक शत-प्रतिशत डी0डी0ओ0 को जेम पर पंजीयन कराना सुनिश्चित कराएं।

(6) सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष क्रय किए जा रहे कम से कम ऐसी तीन सामग्री, जो जेम पर उपलब्ध नहीं हैं, की सूचना संलग्न प्रारूप पर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(7) उक्त कार्यों के सुचारु सम्पादन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाय-

- | | | |
|-----|--|--------------|
| (1) | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| (2) | मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| (3) | वरिष्ठ कोषाधिकारी (डीडीओ को चिन्हित करने हेतु) | सदस्य |
| (4) | श्रम विभाग के एएलसी/डीएलसी | सदस्य |
| (5) | वाणिज्य कर विभाग के डीसी/एसी (विक्रेता संस्थाओं को चिन्हित कर उन्हें जेम पर अधिकाधिक पंजीयन कराने हेतु प्रेरित करने के लिये) | सदस्य |
| (6) | उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र | संयोजक सदस्य |

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार कार्यवाही हेतु समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारियों/उपायुक्त, उद्योग को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः, स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।